

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/म.गा./अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/66181/2022-23-02360 पार्ट-5 दिनांक:-यथा हस्ताक्षर
संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा,
समस्त मण्डल।

विषय:- महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्र 2026-27 में विद्यार्थियों के नव प्रवेश के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-09.03.2026 (राजकाज रेफरेन्स न. 20938738)

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में तथा इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संचालित पूर्व प्राथमिक बाल वाटिका कक्षाओं में सत्र 2026.27 में प्रवेश हेतु अभिभावकों/ विद्यार्थियों से दिनांक 14.03.26 से दिनांक 23.03.26 तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन भरवाये गये। इन प्राप्त आवेदनों के संबंध में दिनांक 25.03.26 को ऑनलाईन लॉटरी निकाली जा चुकी है। लॉटरी उपरान्त चयनित विद्यार्थियों द्वारा संबंधित विद्यालय में दिनांक 01.04.2026 तक प्रवेश लिया जाना है।

उक्त ऑनलाईन आवेदनों की प्रक्रिया में ऐसे महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तथा इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संचालित पूर्व प्राथमिक बाल वाटिका कक्षाएं, जिनमें मानदण्डानुसार निर्धारित/उपलब्ध कक्षावार रिक्तियों (सीट्स) की संख्या में कम आवेदन प्राप्त हुए हैं, दिनांक 01.04.2026 उपरान्त उन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों/बाल वाटिका कक्षाओं की शेष रही रिक्तियों (सीट्स) पर ऑफलाईन /ऑनलाईन प्रवेश करवाये जाने के संबंध में निम्नानुसार आगामी कार्यवाही संपादित की जानी है-

क्र.सं.	आगामी की जाने वाली कार्यवाही	निर्धारित तिथि/समयावधि
1	पूर्व प्राथमिक/बाल वाटिका कक्षाओं की शेष रही रिक्तियों के संबंध में ऑफलाईन/ऑनलाईन आवेदन लिया जाना।	सत्र पर्यन्त तक
2	अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की कक्षा-01 से 08 तक की कक्षाओं की शेष रही रिक्तियों के संबंध में ऑफलाईन /ऑनलाईन आवेदन लिया जाना।	सत्र पर्यन्त तक
3	अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की कक्षा-09 से 12 तक की कक्षाओं की शेष रही रिक्तियों के संबंध में ऑफलाईन/ऑनलाईन आवेदन लिया जाना।	शिविरा पंचाग 2026-27 में सामान्य हिन्दी विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु उल्लेखित प्रावधानों तथा विभागीय दिशा.निर्देशों के अनुसार।

उपरोक्तानुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शेष रही सीटों पर ऑफलाईन/ऑनलाईन आवेदन लिये जाकर 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर विद्यालयों में प्रवेश करवाया जाना है अर्थात् जिस विद्यालय की संबंधित कक्षा में सीटें रिक्त रही हैं उन कक्षाओं में प्रवेश हेतु अब आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संबंधित विद्यालय आवंटित किया जाना है ताकि विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा सीधे ही संबंधित विद्यालय में प्रवेश के लिए दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रवेश ले सकें।



उक्त कार्यवाही में इस कार्यालय के पत्र दिनांक-21.07.24 के क्रम में निर्धारित सीटों की संख्या से 50 प्रतिशत अधिक अथवा विद्यालय में स्थान/कक्षा-कक्षाओं की उपलब्धता के अनुसार प्रवेश किये जाने के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों का प्रवेश करावें।

शेष शर्तें विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक-09.03.2026 व 13.03.2026 के अनुसार यथावत् रहेगी।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति.राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल जयपुर।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, शिक्षा संकुल जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/उप निदेशक (महात्मा गांधी विद्यालय), कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को **प्रभावी प्रबोधन किये जाने हेतु।**
9. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. **उपनिदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।**
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा।
13. सहायक निदेशक शालादर्पण/बजट/माध्यमिक/एफ अनुभाग कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान।
15. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (महात्मा गांधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर